न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम खण्डार
सरकार बनाम बजरंगा पुत्र बदरी

कि.मु. :–136 एल.आर.एक्ट

मु.न. ...034/2025.......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.05.2025	प्रार्थी बजरंगा पुत्र बदरी जाति गुर्जर निवासी मेई खुर्द ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि ग्राम मेईखुर्द के खाता संख्या 118 में प्रार्थी का नाम बजरंगा पुत्र गंगाराम हिस्सा 1/3 बजरंगा पुत्र बदरी हिस्सा 2/3 अंकित है। जबकि प्रार्थी का सही नाम दस्तावेजों के अनुसार बजरंगा पुत्र बदरी नाम है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में सही किये जाने की कृपा करें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज एवं ग्राम पंचायत मेई कलां द्वारा दिनांक 08.04.2025 को जारी प्रमाण पत्र के अनुसर प्रार्थी बजरंगा पुत्र गंगाराम व बजरंगा पुत्र बदरी जाति गुर्जर निवासी मेई खुर्द एक ही व्यक्ति है। पटवारी हल्का मेई कलां ने दिनांक 15.04.2025 में अपनी रिपोर्ट में अंकित किया गया है प्रार्थी अपने पिता का नाम शुद्ध करवाने हेतु आवेदन किया है। जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 ग्राम मेई खुर्द के खाता संख्या 118 में बजरंगा पुत्र गंगाराम हिस्सा 1/3, बजरंगा पुत्र बदरी हिस्सा 2/3 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। नामा0 संख्या 365 दिनांक 30.11.1978 को गंगाराम के उत्ताधिकार बजरंगा पुत्र बदरी क`नाम गंगाराम की भूमि ग्राम मेईखुर्द में हुई है। जिसमें वल्दियत गंगाराम दर्ज कर दी गई है। गंगाराम पुत्र रामचन्द्र, नरसंगा पुत्र रामचन्द्र, बदरी पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर तीन भाई थें। तीनों भाईयों की भूमि बजरंगा पुत्र बदरी के नाम दर्ज हुई है। ग्राम मेईखुद्र में बजरंगा पुत्र गंगाराम व बजरंगा पुत्र बदरी जाति गुर्जर नाम का एक ही व्यक्ति है। बजरंगा के सभी दस्तावेज व अन्य कागजात मे बजरंगा पुत्र बदरी जाति गुर्जर नाम है। प्रार्थी के पिता के नाम में भिन्नता होने के कारण राजकीय योजनाओं का लाभ नही ले पा रहा है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का सही नाम बजरंगा पुत्र गंगाराम के स्थान पर बजरंगा पुत्र बदरी नाम शुद्ध किया जाना उचित होगा। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। पटवारी हल्का मेईकलां द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार एवं ग्राम पचांयत मेई कलां द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार बजरंगा पुत्र गंगाराम व बजरंगा पुत्र बदरी जाति गुर्जर एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्याय उचित समझते है।	

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2025.09.10 11:35:37 IST
Reason: SelfAttested

174 crpc 355

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 ग्राम मेईखुर्द के खाता संख्या 118 में बजरंगा पुत्र गंगाराम के स्थान पर बजरंगा पुत्र बदरी जाति गुर्जर दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। निर्णय की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार खण्डार को भिजवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2025 को लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दफ्तर दाखिल हों।

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2025.09.10 11:35:37 IST
Reason: SelfAttested